[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 26/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ),- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतददवारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012, जिसे सा.का.नि. 163 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2012के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में, क्रम सं. 199 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“199	7113	(I) आभूषण की वस्तुएं (II) आभूषण की वस्तुओं के भाग (III)चांदी के आभूषणों, उनसे भिन्न जिनमें कि हीरे, माणिक्य, पन्ना या नीलम जड़े हों ***स्पष्टीकरण-*** इस छूट के उद्देश्य के लिए,- आभूषण की कोई वस्तु या आभूषण की वस्तु का भार या दोनों, जो कि ऐसी मिश्र धातु (जिसमें सिंटर्ड मिक्चर या इंटरमेटलिक कम्पाउंड भी आते हैं)जिसमें कि कीमती धातु आती है, को कीमती धातु का आभूषण की वस्तुया आभूषण की वस्तु का भाग या दोनों तब माना जाएगा जब इनमें से कोई कीमती धातु आभूषण की वस्तु याआभूषण की वस्तु का भाग	1% 1% शून्य	16 16 -”;

		या दोनों (इसमें जड़े कीमती या अर्द्धकीमती नग के भार को छोड़कर) के भार के 2% तक निम्नानुसार हो : (i) आभूषण की ऐसी कोई वस्तु या आभूषण की वस्तु काभाग या दोनों, जिसमें कि भार के हिसाब से दो प्रतिशत या इससे अधिक प्लेटिनम हो उसे प्लेटिनम के आभूषण की वस्तु या आभूषण की वस्तु का भाग या दोनों माना जाएगा; (ii) आभूषण की ऐसी वस्तु या आभूषण की ऐसी वस्तु का भाग या दोनों जिसमें भार के हिसाब से 2 प्रतिशत या इससे अधिक का सोना हो लेकिन प्लेटिनम न हो या प्लेटिनम भार के हिसाब से 2 प्रतिशत से कम हो तो उसे सोने के आभूषण की वस्तु या आभूषण की वस्तु का भाग या दोनों माना जाएगा; (iii) आभूषण की ऐसी वस्तु या आभूषण की ऐसी वस्तु का भाग या दोनों जिसमें भार के हिसाब से 2 प्रतिशत या इससे अधिक की चांदी हो उसे चांदी के आभूषण के वस्तु आभूषण के वस्तु का भाग या दोनों कहा जाएगा।		

[फा.सं. 354/25/2016-टीआरयू (पार्ट-I)]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012 को सा.का.नि. 163 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 22/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 5 मई, 2016, जिसे सा.का.नि. 490 (अ), दिनांक 5 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।